भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3103

दिनांक 06 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

.....

भूजल का घटता स्तर, जल संरक्षण और टिकाऊ जल प्रबंधन

3103. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुनः

श्री जिया उर रहमानः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों/जिलों में भूजल दोहन और पेयजल संकट की सीमा का आकलन/पहचान की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा पहचाने गए अति-शोषित, गंभीर (क्रिटिकल) और अर्द्ध-गंभीर भूजल संकट वाले ब्लॉकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संभल जिले सहित देश भर में कार्यान्वित की जा रही भूजल पुनर्भरण, जलग्रहण क्षेत्र विकास और जल संरक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) स्थायी जल प्रबंधन, भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन, मांग-पक्ष जल संरक्षण और पेयजल सुधार कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या कर्नाटक के लिए, विशेषकर दावणगेरे जिले के जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए कोई विशेष भूजल पुनर्भरण, जलग्रहण क्षेत्र विकास और जल संरक्षण परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या संभल जिले को किसी भूजल पुनर्भरण या पेयजल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा संबंधित राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ संयुक्त रूप से आकलन इकाई स्तर पर भूजल पुनर्भरण, वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधनों, भूजल निष्कर्षण और भूजल निष्कर्षण के चरण के आकलन हेतु प्रतिवर्ष

सक्रिय भूजल संसाधन आकलन किया जाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, वर्ष 2022, 2023, 2024 और 2025 के लिए ऐसे आकलन किए गए हैं। राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार और जिले-वार विवरण केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा प्रकाशित संबंधित सक्रिय भूजल संसाधन आकलन रिपोर्टों में उपलब्ध हैं, जिन्हें निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

- सक्रिय भूजल संसाधन आकलन, 2022: https://cgwb.gov.in/cgwbpnm/public/uploads/documents/16862159959508359 34file.pdf
- सक्रिय भूजल संसाधन आकलन, 2023: https://cgwb.gov.in/cgwbpnm/public/uploads/documents/17056512151889452705file.pdf
- सक्रिय भूजल संसाधन आकलन, 2024: https://cgwb.gov.in/cgwbpnm/public/uploads/documents/17387543101433268167file.pdf
- सक्रिय भूजल संसाधन आकलन, 2025: https://cgwb.gov.in/GWRA/GWRA_2025.pdf

इसके अतिरिक्त, पेयजल राज्य का विषय है, पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन (जेजेएम) के माध्यम से उनके प्रयासों में सहयोग प्रदान किया जाता है, जिसके तहत आज की तारीख तक देश के लगभग 82.18 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए 15.90 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

(ख) सक्रिय भूजल संसाधन आकलन, जो वर्ष 2025 के अनुसार, देश में कुल 6,762 आकलन इकाइयों (ब्लॉक/मंडल/तालुका) में से 730 को अति-दोहित, 201 को गंभीर और 758 को अर्ध-गंभीर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। शेष आकलन इकाइयों में 4,946 सुरक्षित और 127 लवणीय इकाइयां शामिल हैं। अति-दोहित, गंभीर और अर्ध-गंभीर आकलन इकाइयों का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण सक्रिय भूजल संसाधन आकलन, 2025' में उपलब्ध है, जिसे निम्नलिखित वेबलिंक पर देखा जा सकता है:
https://cgwb.gov.in/GWRA/GWRA_2025.pdf

(ग) केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और संबंधित राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सक्रिय भूजल संसाधन आकलन के तहत अन्य बातों के साथ-साथ भूजल पुनर्भरण, वाटरशेड विकास और जल संरक्षण उपायों की प्रभावशीलता भूजल पुनर्भरण और आकलन इकाइयों के वर्गीकरण में हुए परिवर्तनों के माध्यम से परिलक्षित होती है।

वर्ष 2017 और वर्ष 2025 के सक्रिय भूजल संसाधन आकलनों की तुलना से पता चलता है कि कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 431.86 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) से बढ़कर 448.52 बीसीएम

हो गया है, जिसमें 16.66 बीसीएम की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी अवधि के दौरान, सुरक्षित के रूप में वर्गीकृत आकलन इकाइयों का अनुपात 62.6 प्रतिशत से बढ़कर 73.14 प्रतिशत हो गया, जबकि अति-दोहित आकलन इकाइयों का अनुपात 17.2 प्रतिशत से घटकर 10.80 प्रतिशत रह गया। ये प्रवृत्तियां देश के कई हिस्सों में भूजल की उपलब्धता में समग्र सुधार और भूजल पर घटते हुए दबाव का संकेत देती हैं।

उत्तर प्रदेश के संभल जिले के संबंध में, वर्ष 2017 और वर्ष 2025 के सक्रिय भूजल संसाधन आकलनों की तुलना से संकेत मिलता है कि कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 44,453 हेक्टेयर मीटर (हे.मी.) से बढ़कर 47,945 हेक्टेयर मीटर हो गया है, जिसमें लगभग 3,492 हेक्टेयर मीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा, जिले की आठ आकलन इकाइयों में से, अति-दोहित आकलन इकाइयों की संख्या वर्ष 2017 में तीन से घटकर वर्ष 2025 में शून्य हो गई है, जबकि गंभीर आकलन इकाइयों की संख्या तीन से घटकर दो रह गई है। ये सुधार संभल जिले में भूजल पुनर्भरण, वाटरशेड विकास और जल संरक्षण उपायों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाते हैं।

(घ) से (च) जल राज्य का विषय है। भूजल पुनर्भरण, वाटरशेड विकास और पेयजल आपूर्ति सहित जल संसाधनों का सतत विकास, संरक्षण और प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र की जिम्मेदारी है। तथापि, केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत तकनीकी मार्गदर्शन, नीतिगत समर्थन और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहयोग प्रदान करती है। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश राज्यों सहित स्थायी जल प्रबंधन, भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और पेयजल सुधार के लिए की गई प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

(i) भूजल संसाधनों के संवर्धन के प्रयास मुख्य रूप से जल शक्ति अभियान (जेएसए) के माध्यम से किए जा रहे हैं, यह जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण के लिए एक वार्षिक मिशन-मोड अभियान है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, अभिसरण (कंवर्जेन्स) के माध्यम से देश भर में 2 करोड़ से अधिक जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण कार्य किए गए हैं, जिनमें कर्नाटक में 17.95 लाख कार्य (दावणगेरे जिले में 20,490) और उत्तर प्रदेश में 20.44 लाख कार्य (संभल जिले में 22,019) शामिल हैं।

(ii) जेएसए की गति को और तेजी प्रदान करने के लिए तथा वर्षा जल संचयन को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2024 में जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल शुरू की गई थी। देश भर में 1.55 करोड़ से अधिक कृत्रिम भूजल पुनर्भरण और जल-भंडारण संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिनमें कर्नाटक में 4.76 लाख कार्य (दावणगेरे जिले में 2,599) और उत्तर प्रदेश में 2.72 लाख कार्य (संभल जिले में 1,500) शामिल हैं। तत्पश्चात, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को और बढ़ावा देने के लिए 1 जून 2026 को जल संचय जन भागीदारी-कैच द रेन (जेएसजेबी-सीटीआर) का शुभारंभ किया गया।

(iii) जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अटल भूजल योजना के माध्यम से समुदाय के नेतृत्व वाले सहभागी भूजल प्रबंधन कार्यक्रम का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है, जिसे कर्नाटक और उत्तर प्रदेश सहित सात राज्यों के 80 जिलों में जल की कमी वाले 8,203 ग्राम पंचायतों में लागू किया गया है। इस योजना के तहत, वर्षा जल संचयन संरचनाएं, पुनर्भरण संरचनाएं, मांग-पक्ष प्रबंधन उपाय और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने जैसे कार्य अभिसरण और प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन निधि के माध्यम से किए गए हैं।

(iv) देश के हर जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करने के लिए वर्ष 2022 में मिशन अमृत सरोवर अभियान आरंभ किया गया था। लगभग 69,000 अमृत सरोवरों का विकास / पुनरुद्धार किया गया है, जिनमें उत्तर प्रदेश में 16,632 (संभल जिले में 132) और कर्नाटक में 4,054 (दावणगेरे जिले में 125) शामिल हैं, जो जल भंडारण और भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं।

(v) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सभी शहरी स्थानीय निकायों में जल सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें जल निकायों का पुनरुद्धार और भूजल पुनर्भरण में योगदान देने वाले हरित क्षेत्रों का विकास शामिल है। अमृत/अमृत 2.0 के तहत, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों ने लगभग 1.21 लाख एकड़ को कवर करने वाली 2,960 जल-निकाय पुनरुद्धार परियोजनाओं और लगभग 18,168 एकड़ को कवर करने वाली 4,171 पार्क और हरित-क्षेत्र परियोजनाओं का कार्य आरंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त, उथले शहरी जलभृतों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए उथले जलभृत प्रबंधन (एसएएम) पहल शुरू की गई है।

(vi) विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी (वीबी-जी राम जी) के तहत, विशेष रूप से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल-संबंधी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। इस योजना ढांचे के तहत, जल-संबंधी कार्यों पर व्यय को प्राथमिकता दी जा सकती है, जिसमें अति-दोहित और गंभीर ब्लॉकों में कम से कम 65 प्रतिशत, अर्ध-गंभीर ब्लॉकों में 40 प्रतिशत और सुरक्षित ब्लॉकों में 30 प्रतिशत की सांकेतिक सीमा तय की गई है।

(vii) भूमि संसाधन विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह घटक मृदा और नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, ड्रेनेज-लाइन उपचार, वनीकरण और अन्य वाटरशेड हस्तक्षेपों के माध्यम से वर्षा सिंचित और बंजर भूमि के एकीकृत विकास को बढ़ावा देता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जल संकट वाले क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में जल की उपलब्धता में सुधार करना, भूजल पुनर्भरण को बढ़ाना और प्राकृतिक संसाधनों की स्थिरता को मजबूत करना है।

(viii) भारत सरकार द्वारा सिंचाई तक वास्तवकि पहुंच में सुधार, खेत पर जल-उपयोग दक्षता बढ़ाने और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) आरंभ की गई थी। पीएमकेएसवाई के हर खेत को पानी (एचकेकेपी) घटक के तहत, सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) और जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) योजनाएं पारंपरिक जल निकायों की बहाली, लघु सिंचाई कार्यों के निर्माण और भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने में सहायता प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा सूक्ष्म सिंचाई और वैज्ञानिक ऑन-फार्म जल प्रबंधन के माध्यम से खेत-स्तर पर जल-उपयोग दक्षता में सुधार के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी) घटक का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ix) केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (नैक्यूम 1.0) के तहत जलभृत मानचित्रण पूरा कर लिया है, जिसमें देश के लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के चिन्हित मानचित्रण योग्य क्षेत्र को कवर किया गया है। इसमें कर्नाटक (दावणगेरे जिले सहित) में लगभग 1,91,719 वर्ग किलोमीटर और उत्तर प्रदेश (संभल जिले सहित) में लगभग 2,40,649 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल हैं। कार्यक्रम के तहत तैयार किए गए जलभृत मानचित्र और भूजल प्रबंधन योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा की गई हैं ताकि भूजल पुनर्भरण, स्थायी भूजल विकास और वैज्ञानिक जल-संसाधन योजना का कार्यान्वयन किया जा सके। इसी के आधार पर, नैक्यूम 2.0 वैज्ञानिक और संधारणीय भूजल प्रबंधन का समर्थन करने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विस्तृत जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन अध्ययनों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें जल की कमी वाले क्षेत्र और भूजल गुणवत्ता से प्रभावित क्षेत्र शामिल हैं।

(x) जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यान्वयन राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में किया जा रहा है ताकि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में और नियमित एवं दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता का पीने योग्य नल का जल उपलब्ध कराया जा सके। मिशन के तहत, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जल निकायों के पुनरुद्धार के माध्यम से दीर्घकालिक स्रोत स्थिरता सुनिश्चित करते हुए, जल की गुणवत्ता से प्रभावित और जल की कमी वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। आज की तारीख तक, 15.90 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जो देश के लगभग 82.18 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को कवर करता है। इनमें उत्तर प्रदेश में 2,45,87,371 परिवार (92.02%) शामिल हैं, जिनमें से 3,07,819 परिवार (94.06%) संभल जिले में हैं, और कर्नाटक में 89,80,626 परिवार (88.72%) शामिल हैं, जिनमें से 2,35,178 परिवार (90.62%) दावणगेरे जिले में हैं।
